रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 5, 2009/फाल्गुन 14, 1930
No. 98] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 5, 2009/PHALGUNA 14, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2009

फा. सं. 10(3)/2007/-डीबीए-II/एनईआर.—केन्द्र सरकार दिनांक 5 नवम्बर, 2008 की समसंख्यक अधिसूचना के अतिक्रमण में पूर्व में औद्योगिक विकास मंत्रालय की दिनांक 23 जुलाई, 1971 की अधिसूचना सं. 6(26)/71-आईसी, में भारत सरकार की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :-

1. 'प्रारंभ तथा अवधि' शीर्षक के तहत पैरा 2 में मौजूदा पैरा के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए :-

"इस योजना को अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला, केन्द्र शासित प्रदेश अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप के लिए उन्हीं शर्तों और नियमों के अनुसार 31 मार्च, 2008 से आगे बढ़ाया जाता है, जब तक कि मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी नहीं कर ली जाती, जिसके बाद आर्थिक कार्य मंत्रिमंडल समिति के समक्ष उपयुक्त प्रस्तावों को निर्णय लेने के लिए भेजा जाएगा।"

एन. एन. प्रसाद संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2009

F. No. 10(3)/2007-DBA-II/NER.—In supersession of Notification of even number 5th November 2008, the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Industrial Development Notification No. 6(26)/71-IC, dated the 23rd July, 1971, as amended from time to time.

1. In para 2, under the heading 'Commencement and Duration', the following may be added at the end of the existing para:-

> "The Scheme is further extended beyond 31.3.2008 for the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura, Sikkim, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Darjeeling District of West Bengal, Union Territories of Andaman & Nicobar Island and Lakshadweep, on the same terms and conditions, till completion of the evaluation process, after which suitable proposals will be placed before the Cabinet Committee on Economic Affairs for decision.

N. N. PRASAD, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.